कार्यपालिक सारांश

इस अध्याय में हमने क्या रेखांकित किया है।

इस अध्याय में राज्य शासन द्वारा ली गई राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति, बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में अंतर, लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया, विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकों की स्थिति, पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन, लेखापरीक्ष द्वारा उठाए गए विषयों पर शासन/विभागों द्वारा कार्यवाही करने की प्रक्रिया, निरीक्षण प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं की स्थिति, परिवहन विभाग के विभिन्न लेखा परीक्षाओं में दिए गए सुझाव पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही एवं लेखापरीक्षा के प्रभाव को प्रस्तुत किया गया है।

राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

छत्तीसगढ़ राज्य शासन की प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व ₹ 17,650.16 करोड़ कुल राजस्व प्राप्तियों का 60 प्रतिशत था। शेष 40 प्रतिशत प्राप्तियों की राशि ₹ 11,927.93 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं का अनुपालन न होना

दिसम्बर 2012 तक जारी 2549 निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल 9,943 कंडिकाएँ राशि ₹ 5,930.53 करोड़ जून 2013 तक अनुपालन के अभाव में लंबित थे।

निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के भीतर प्रथम उत्तर प्राप्त होना आवश्यक था परन्तु मार्च 2013 तक 83 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर विभाग प्रमुखों से प्राप्त (30 जून 2013) नहीं हुए, उत्तरों के प्राप्त नहीं होने से निरीक्षण प्रतिवेदन की अधिक लंबित संख्या इस तथ्य को दर्शित करती है कि कार्यालय/विभाग प्रमुख निरीक्षण प्रतिवेदन में महालेखाकार द्वारा इंगित त्रुटियों, लोप और अनियमितताओं को सुधारने में असफल रहें।

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए राशि की कम वसूली

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए गए प्रकरण में विभागों द्वारा ₹ 2,048.57 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की गई जिसमें मार्च 2013 तक मात्र ₹ 300.20 करोड़ (14.65 प्रतिशत) की राशि वसूल की गई।

विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकें

वर्ष 2012-13 में हमने पाया कि तीन विभागों द्वारा आठ[1] विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकें की गई जिसमें राशि ₹ 30.34 करोड़ के 252 कंडिकाएँ निर्णित की गई जबकि अन्य विभागों द्वारा विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकों के लिए कोई पहल नहीं की गई।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि शासन सामयिक रूप से सभी विभागों का विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठक आयोजन करना सुनिश्चित करें ताकि लंबित कंडिकाओं को शीघ्र एवं प्रभावी रूप से निराकरण किया जा सके ।

लेखापरीक्षा से प्रेरित होकर किए गए संशोधन

लेखापरीक्षा से प्रेरित होकर विभाग/शासन ने नियमों में अधिसूचना/परिपत्र द्वारा बदलाव किए। भौमिकी एवं खनन विभाग द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की गणना हेतु संशोधित खनन प्लान को विचार में नहीं लिया जा रहा था। लेखापरीक्षा द्वारा रेखांकित किए जाने पर संबंधित विभाग ने नियमों में आवश्यक संशोधन किए गये।

हमारा निष्कर्ष

वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 1,334.05 करोड़ की वित्तीय प्रभाव से संबंधित लेखा परीक्षा प्रेक्षण जारी किए गए। शासन/विभागों द्वारा ₹ 181.55 करोड़ के प्रेक्षण स्वीकार किए। यह सिफारिश की जाती है कि शासन स्वीकृत मामलों की राशि शीघ्र वसूल करने के लिए प्रयास करे।

पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिए बकाया राजस्व राशि कुल लंबित राशि का 47 प्रतिशत से अधिक था। राज्य सरकार जल्द से जल्द लंबित राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करे।

शासन द्वारा लेखा परीक्षा प्रेक्षणों के प्रति उत्तर में प्रभावी प्रक्रिया लागू करने के लिए शीघ्र एवं उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए एवं उन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें जिन्होने निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं का जवाब तय समय सीमा पर नहीं भेजा और समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया राजस्व को वसूल करने हेतु कार्यवाही करने में विफल रहे है।

विभाग को चाहिए कि कम से कम स्वीकृत मामलों में राशि को वसूलने हेतु उचित कदम उठाए। यह भी सुनिश्चित करें कि आंतरिक नियंत्रण प्रणली की उन्नत्ति कर प्रणाली की कमजोरियों का व्याख्यान करें ताकि हमारे द्वारा दर्शाए गये लोपों को भविष्य में टाला जा सकें।

[1] पंजीयन एक, वाणिज्यिक कर दो एवं भौमिकी एवं खनन विभाग द्वारा पाँच लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित की गई।

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2012-13 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य निवल आगम संधीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश एवं सहायता अनुदान एवं इससे संबंधित विगत चार वर्ष के आँकड़े नीचे वर्णित हैः

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	**राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व**					
	• कर राजस्व	6,593.72	7,123.25	9,005.14	10,712.25	13,034.21
	• कर भिन्न राजस्व	2,202.21	3,043.00	3,835.32	4,058.48	4,615.95
	योग	**8,795.93**	**10,166.25**	**12,840.46**	**14,770.73**	**17,650.16**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य निवल आगम संधीय करों एवं शुल्को का राज्यांश	4,257.91	4,380.66	5,425.19	6,320.44	7,217.60[2]
	• सहायता अनुदान	2,608.92	3,606.74	4,453.89	4,776.21	4,710.33
	योग	**6,866.83**	**7,987.40**	**9,879.08**	**11,096.65**	**11,927.93**
3.	**राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**15,662.76**	**18,153.65**	**22,719.54**	**25,867.38**	**29,578.09**
4.	**1 से 3 का प्रतिशत**	**56**	**56**	**57**	**57**	**60**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व कुल राजस्व का 60 प्रतिशत रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान शेष राजस्व 40 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

[2] विवरण के लिय कृपया छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखा वर्ष 2012-13 (कर राजस्व) तालिका 11 राजस्व का लधु शीर्षवार लेखा देखें। मुख्य शीर्ष 0020- कॉरपोरेशन कर, 0021- आय कर कापॉरेशन कर को छोड़कर, 0032- संपत्ति कर, 0037- सीमा शुल्क, 0038- संध उत्पाद शुल्क एवं 0044- सेवा कर के अंतर्गत लधु शीर्ष 901- राज्यों को समानुदेशित निवल आगमों का हिस्सा के दर्ज राशि कर-राजसव के अंतर्गत दिखाए गए है, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर, विभाज्य संघीय करों में राज्यांश में सम्मिलित किया गया।

1.1.2 वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान संग्रहित कर राजस्व के विवरण नीचे तालिका में वर्णित हैः

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 की तुलना में 2012-13 आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1.	• वाणिज्यिक कर	2,946.78	3,031.16	4,094.96	4,886.25	6,072.77	24.28
	• केन्द्रीय विक्रय कर	664.16	681.00	745.83	1,120.00	855.88	(-) 23.58
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	964.10	1,187.72	1,506.44	1,596.98	2,485.68	55.65
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	495.59	583.13	785.85	845.82	952.47	12.61
4.	विद्युत पर कर और शुल्क	415.10	416.91	502.53	637.97	860.75	34.92
5.	वाहनो पर कर	313.78	351.88	427.52	502.18	591.75	17.84
6.	माल और यात्रियों पर कर	420.71	696.10	675.14	825.67	954.31	15.58
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर होटल प्राप्ति कर सहित व्यवसाय, वृत्ति, व्यवसाय एवं रोजगार पर कर	7.68	8.81	8.82	11.07	6.84	(-) 38.21
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	6.33	6.86	10.68	15.75	19.65	24.76
9.	भू-राजस्व	359.49	159.68	247.37	270.56	234.11	(-) 13.47
योग		**6,593.72**	**7,123.25**	**9,005.14**	**10,712.25**	**13,034.21**	**21.68**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

संबंधित विभागों द्वारा प्राप्तियों में अंतर का कारण नीचे वर्णित हैः

वाणिज्यिक कर : वृद्धि (24.28 प्रतिशत) व्यापारियों को बेहतर सुविधा एवं विशिष्ट निगरानी के कारण हुई।

मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क : वृद्धि (12.61 प्रतिशत) बाजार मूल्य में वृद्धि एवं ₹ 28 करोड़ सरगुजा जिले से पट्टे नामों से प्राप्त हुई।

विद्युत पर कर और शुल्क : वृद्धि (34.92 प्रतिशत) पिछली वर्ष की विद्युत शुल्क एवं उपकर की प्राप्ति से हुई।

वाहनों पर कर : वृद्धि (17.84 प्रतिशत) नए वाहनों की पंजीकरण में वृद्धि के कारण हुई।

भू-राजस्व : कमि(13.47 प्रतिशत) नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भू-राजस्व का संग्रहण न होना एवं कुछ क्षेत्र सूखा ग्रस्त होने से हुई।

अन्य विभागों से अनुरोध किए जाने के बावजूद भी अंतर के कारणों को सूचित नहीं किया गया।

1.1.3 वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक राज्य द्वारा संग्रहित कर-भिन्न राजस्व के विवरण नीचे तालिका में वर्णित हैः

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 की तुलना में 2012-13 आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1.	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	1,243.24	1,660.87	2,470.44	2,744.82	3,138.18	14.33
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	322.29	345.85	305.17	341.64	363.96	6.53
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	237.40	220.70	170.95	216.57	243.13	12.26
4.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	126.04	105.37	222.00	336.49	357.23	6.16
5.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	135.17	537.82	602.01	325.05	370.44	13.96
6.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	1.67	35.67	10.26	21.11	17.09	(-) 19.04
7.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	11.49	13.03	15.97	16.36	20.34	24.33
8.	पुलिस	8.22	6.69	18.22	19.41	19.39	(-) 0.10
9.	लोक निर्माण	13.59	14.61	15.74	15.81	28.02	77.23
10.	विविध सामान्य सेवाएँ	95.58	96.97	(-) 0.84	0.74	47.63	6336.49
11.	सहकारिता	7.52	5.42	5.40	20.48	10.54	(-) 48.54
योग		**2,202.21**	**3,043.00**	**3,835.32**	**4,058.48**	**4,615.95**	**13.74**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

संबंधित विभागों द्वारा प्राप्तियों में अंतर का कारण नीचे वर्णित हैः

अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग : वृद्धि (14.33 प्रतिशत) कोयले की रायल्टि में 10 मई 2012 से वृद्धि के कारण हुई।

वानिकी एवं वन्य जीवन : वृद्धि (6.53 प्रतिशत) बिक्री मूल्य एवं पैदावार में वृद्धि के कारण हुई। अन्य प्राप्ति जैसे लाईसेंस फीस, टी.पी.फीस इत्यादि में भी वृद्धि हुई।

लोक निर्माणः वृद्धि (77.23 प्रतिशत) नए कार्य के लिए ठेके दिए जाने एवं नए पुलों पर पथ कर की वसूली से हुई।

वृहद एवं मध्यम सिंचाई : वृद्धि (6.16 प्रतिशत) कर की दर में वृद्धि एवं राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के अलावा पहले से शत प्रतिशत जल कर वसूल होने से हुई।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में अंतर

वर्ष 2012-13 में कर एवं कर भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्ष के संबंध में बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मध्य अंतर नीचे वर्णित है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	अंतर अधिक (+) या कमी (-)	अन्तर प्रतिशत
क. कर राजस्व					
1.	विक्रय, व्यापार पर कर इत्यादि	7,310.20	6,928.65	(-) 381.55	(-) 5.22
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2,200.00	2,485.68	285.68	12.99
3.	विद्युत पर कर एवं अन्य शुल्क	780.00	860.74	80.74	10.35
4.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	950.00	952.47	2.47	0.26
5.	माल एवं यात्रियों पर कर	950.00	954.31	4.31	0.45
6.	वाहनों पर कर	605.71	591.75	(-) 13.96	(-) 2.30
7.	भू-राजस्व	346.00	234.11	(-) 111.89	(-) 32.34
8.	आय एवं व्यय पर अन्य कर व्यवसाय, वृत्ति, व्यवसाय एवं रोजगार पर कर	1.12	2.72	1.60	142.86
9.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	15.50	19.65	4.15	26.77
10.	होटल शुल्क प्राप्तियाँ कर	2.65	4.12	1.47	55.47
ख. कर भिन्न राजस्व					
1.	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	3,105.00	3,138.18	33.18	1.07
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	405.00	363.96	(-) 41.04	(-) 10.13
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	321.94	243.13	(-) 78.81	(-) 24.48
4.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	391.46	357.23	(-) 34.23	(-) 8.74
5.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	12.25	17.09	4.84	39.51
6.	विविध सामान्य सेवाएँ	18.56	20.34	1.78	9.59
7.	पुलिस	14.00	19.39	5.39	38.50
8.	लोक निर्माण	12.40	28.02	15.62	125.96
9.	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	6.50	5.01	(-) 1.49	(-) 22.92
10.	जेल-अन्य प्राप्तियाँ	3.96	3.37	(-) 0.59	(-) 14.90

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियो के आंकड़ों में (-) 32.34 से 142.86 प्रतिशत अंतर रहा।

संबंधित विभागों द्वारा दिये गए अंतर का कारण नीचे वर्णित है :

वाणिज्यिक करः कमि (5.22 प्रतिशत) धान, लौह अयस्क, लकड़ी, रेल पटरी पर जड़ी जाने वाली लकड़ी की धरन एवं पान मसालों से पिछले वर्ष के मुकाबले कम राजस्व प्राप्त होने से हुई।

अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योगः वृद्धि (1.07 प्रतिशत) कोयले के रायल्टि में 10 मई 2012 से वृद्धि के कारण हुई।

लोक निर्माणः वृद्धि (109.84 प्रतिशत) नये कार्य हेतु ठेके दिए जाने से हुई।

अन्य विभागों से अनुरोध किए जाने के बावजूद भी अंतर के कारणों को सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2013)

अतः राज्य शासन को यह अनुशंसा की जाती है कि बजट अनुमान तैयार करते समय वास्तविक आंकड़ों को ध्यान में रखे क्योंकि अनुमान एवं वास्तव में काफी अंतर पाया गया।

1.3 कुल बकाया राजस्व एवं पाँच साल से अधिक बकाया राजस्व का विश्लेषण

विभागों[3] द्वारा कुछ प्रमुख राजस्व शीर्ष में 31 मार्च 2013 तक बकाया राजस्व ₹1,256.64 करोड़ सूचित किया गया जिसमें से ₹ 600.09 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित था, नीचे वर्णित है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 तक बकाया राशि	31 मार्च 2013 तक पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि	टिप्पणी
1.	विक्रय, व्यापार पर कर आदि	556.08	551.67	न्यायालयीन आदेश द्वारा जारी स्थगन के कारण, व्यवसाय बंद होने के कारण, राज्य के बाहर प्रेषित आर. आर. सी. वसूली/ अवसूली योग्य राशि होने से बकाया पाँच सालों से अधिक रहा। मांग पत्र, वारंट, कुर्की अधिपत्र जारी किया गया। कुर्क सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही की गई। बैंक अकाउंट फारफिट किया गया। सरल समाधान योजना लागू कर बकाया राशि वसूल की गई।
2.	वाहनों पर कर	14.99	0.41	₹ 1.13 करोड़ न्यायालय के स्थगनादेश के फलस्वरूप वसूली हेतु स्थगित है। उक्त बकाया राशि में वर्ष 1991 के पूर्व के मार्ग कर एवं यात्री कर की राशि शामिल है एवं वाहन अधिक पुराना होने के कारण कण्डम हो गये है।

[3] भू - राजस्व विभाग को छोड़कर।

				अप्रैल 2013 से जुलाई 2013 तक ₹ 2.47 करोड़ की वसूली की गई। बकाया वाहनों की सूची तैयार कर वसूली के निर्देश दिये गये है।
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	31.04	23.59	बकाया राजस्व वसूली की कार्यवाही भू - राजस्व संहिता के अंतर्गत की जा रही है।
4	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	12.36	1.40	जिला पंजीयकों द्वारा मांग पत्र जारी कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	631.76	20.38	वसूली हेतु भरसक प्रयास जारी है।
6	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	1.45	1.36	बकाया वसूली हेतु खनि अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर वसूली के निर्देश दिये गये। साथ ही समीक्षा बैठक के दौरान सचिव, छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग द्वारा निर्देश दिये गये कि पुरानी बकाया राशि को राईट ऑफ करने शासन को प्रस्ताव भेजा जाए।
7	वानिकी एवं वन्य जीव	8.96	1.28	विभाग द्वारा समय समय पर अधीनस्थ कार्यालयों को बकाया राशि के वसूली के संबंध में लेख किया जाता है।
योग		**1,256.64**	**600.09**	

(स्रोतः विभागो द्वारा प्रदाय किए गये अनुसार)

उपरोक्त तालिका इंगित करता है कि पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि, कुल बकाया राशि का 47 प्रतिशत था।

राज्य शासन को यह अनुशंसा की जाती है कि बकाया राशियों की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करें।

1.4 कर अपवंचन

वर्ष 2012-13 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर अपवंचन के खोजे गए प्रकरणों, अंतिम रूप से निराकृत किए गए प्रकरणों एवं विभागों द्वारा यथा सूचित अतिरिक्त कर माँगों के विवरण नीचे वर्णित है :

स. क्र.	विभाग का नाम	31 मार्च 2012 तक लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2012-13 के दौरान के प्रकरण	कुल	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/अन्वेषण कर अतिरिक्त मांग शास्ति आदि सम्मिलित कर समुत्थापित की गई		31 मार्च 2013 तक लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि *(₹ करोड़ में)*	
1.	वाणिज्यिक कर	108	64	172	57	125.81	115

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त आकड़ें)

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 31 मार्च 2013 की स्थिति में कुल प्रकरणों में से केवल 33.14 प्रतिशत प्रकरण का निराकरण किया गया।

सभी 57 प्रकरण जो वर्ष 2012-13 में निराकृत किए गये, वे वर्ष 2012-13 के पहले के प्रकरण थे।

1.5 प्रतिदाय

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सूचित किए गए अनुसार वर्ष 2012-13 के प्रारंभ में लंबित प्रतिदाय प्रकरण, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रतिदायों और वर्ष 2012-13 के अंत में लंबित प्रकरणो की संख्या नीचे वर्णित है :

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	प्रारम्भिक शेष		प्राप्त प्रकरण		अनुमत्य प्रतिदाय		अंत शेष	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
वाणिज्यिक कर	132	2.95	1,034	578.26	858	531.91	308	49.30

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त आकड़ें)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि 74 प्रतिशत प्रकरणों में प्रतिदाय स्वीकार किए गए।

1.6 लेखा परीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ के द्वारा शासन के विभागों के लेन देन की नमूना जाँच का सामयिक निरीक्षण कर यह सत्यापित करना की महत्वपूर्ण लेखों और अन्य अभिलेखों का संधारण निर्धारित नियमों और विधि के अनुसर किया जा रहा है। इन निरीक्षणों के अनुसरण में जाँच के दौरान पायी गयी अनियमित्ताएँ जिनका स्थल पर निराकरण नहीं किया जा सका, को निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर विभागाध्यक्ष को जारी करते है तथा उसकी प्रति उच्च अधिकारियों को शीघ्र सुधार कार्य करने के भेजा जाता है। कार्यालय प्रमुख/शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित आपत्तियों पर अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, लोप और त्रुटियों को सुधार कर प्रारम्भिक उत्तर के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को निरीक्षण प्रतिवेदन के जारी किए जाने के दिनांक से एक माह के भीतर देना होता है। गंभीर वित्तीय अनियमित्ताएँ विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित किया जाता है।

1.6.1 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षण

दिसम्बर 2012 तक जारी 2,549 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 9,943 कंडिकाओं में ₹ 5,930.53 करोड़ की राशि जून 2013 को लंबित थी जो पिछले दो वर्षो के आंकड़ों के साथ नीचे दर्शित है।

विवरण	जून 2011	जून 2012	जून 2013
निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,094	2,185	2,549
लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	7,874	8,428	9,943
सन्निहित राजस्व राशि *(₹ करोड़ में)*	3,429.36	4,495.26	5,930.53

30 जून 2013 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा प्रेक्षण एवं उसमें सन्निहित राजस्व का विभागवार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

स. क्र.	विभाग का नाम	वसूली की प्रकृति	लंबित नि. प्रति. की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वित्त	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	391	2,470	362.03
		मनोरंजन कर	70	97	2.06
2.	मुद्रांक एवं पंजीयन	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	200	490	28.62
3.	राजस्व	भू - राजस्व	540	1,624	414.02
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	129	940	124.02
5.	उत्पाद	राज्य उत्पाद	122	346	336.67
6.	भौमिकी एवं खनन	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	133	456	815.28
7.	वन	प्राप्तियाँ	307	935	1,033.32
		व्यय	356	1,481	518.91
8.	ऊर्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क	13	62	1,644.41
9.	अन्य कर विभाग	अन्य कर प्राप्तियाँ	288	1,042	651.19
योग			**2,549**	**9,943**	**5,930.53**

1.7 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन

निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के भीतर प्रथम उत्तर प्राप्त होना आवश्यक है परन्तु मार्च 2013 तक 83 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर विभाग प्रमुखों से प्राप्त नहीं हुए। निरीक्षण प्रतिवेदन की अधिक लंबित संख्या इस तथ्य को दर्शित करती है कि कार्यालय/विभाग प्रमुख निरीक्षण प्रतिवेदन में महालेखाकार द्वारा इंगित त्रुटियों, लोप और अनियमित्ताओं को सुधारने में पहल नहीं किये।

हम अनुशंसा करते है कि शासन प्रभावकारी प्रक्रिया की संस्थापना करने हेतु जरूरी कदम उठाए जिससे लेखा परीक्षा आपत्तियों पर उचित कार्यवाही हो।

1.8 विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकें

शासन द्वारा लेखा परीक्षा समिति की स्थापना (विभिन्न समय के दौरान) निरीक्षण प्रतिवेदन और निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी और प्रगति को त्वरित करने के लिए की गई। वर्ष 2012-13 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण तथा निराकृत कंडिकाओं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

राजस्व शीर्ष	बैठकों की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	1	176	1.92
वाणिज्यिक कर	2	48	22.50
अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	5	28	5.92
योग	**8**	**252**	**30.34**

ऊपर वर्णित ब्यौरे के आधार पर यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान पंजीयन विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा क्रमशः एक, दो एवं पाँच बैठक आहुत की गयी जिसमें 252 कंडिकाएँ (जिसमें ₹ 30.34 करोड़ सम्मिलित है) निराकृत की गयी।

यह सिफारिश की जाती है कि शासन लंबित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण के लिए सभी विभागों द्वारा सामयिक विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठको का आयोजन सुनिश्चित करें।

1.9 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित होने वाले प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर छः सप्ताह के भीतर देना होता है। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए महालेखाकार द्वारा विभागों को भेजे गए प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर को संबंधित विभागों के सचिवों को अर्धशासकीय पत्र प्रेषित कर छः सप्ताह के अंदर उनका जवाब भेजने के लिए कहा गया था। शासन से उत्तर अप्राप्ति के संबंध में इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संबंधित कंडिका के अंत में इंगित किया गया है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित 64 प्रारूप कंडिकाऐं (जो 27 कंडिकाओं में एकत्रिक है) संबंधित विभागों के सचिवों को अप्रैल 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य भेजा गया। विभागों द्वारा 10 कंडिकाओं के 15 प्रकरणों की आपत्ति स्वीकार की गयी। शेष कंडिकाओं पर विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं भेजा गया या स्वीकार नहीं किया गया (नवम्बर 2013)।

1.10 लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुसरण - सारांश स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर प्रस्तुत होने के तिथि से तीन माह के अंदर प्रतिवेदन के सभी कंड़िकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर (विभागीय टिप्पणी) सभी विभागों को लेखा परीक्षा के मत के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मार्च 2013 की स्थिति में भू-राजस्व एवं जल संसाधन विभाग ने वर्ष 2004-05 एवं 2010-11 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल दो एवं एक कंडिका के संबंध में विभागीय टिप्पणी निम्न विवरण के अनुसार 8 से 81 माह के विलंब के बावजूद लेखा परीक्षा के मतांकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था जैसा कि तालिका में नीचे वर्णित है :

स. क्र.	विभाग	प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा को प्रस्तुत करने का दिनांक	अंतिम दिनांक जबसे विभागीय टिप्पणी देय थी	कंडिकाओं की संख्या जिनकी विभागीय टिप्पणी देय थी	मार्च 2013 के अंत तक महिनों में विलंब
1	भू - राजस्व	2004-05	23.03.2006	23.06.2006	1	81
		2010-11	03.04.2012	03.07.2012	1	8
2	जल संसाधन	2010-11	03.04.2012	03.07.2012	1	8

कार्यपालिका के दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु लोक लेखा समिति/(लो.ले.स.) ने समय सीमा निर्धारित की है, जिसके अंतर्गत की गई कार्यवाही की टीप अनुशंसा सहित संबंधित को प्रेषित किया जाता है। लो. ले. स. ने वर्ष 1998-99 से 2009-10 तक की अवधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के 82 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा की, तथा 44 कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसा दी। परन्तु संबंधित विभाग द्वारा निम्न विवरण के अनुसार 16 अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही की टीप अपेक्षित थी, जैसा कि तालिका में निचे वर्णित है :

वर्ष	विभाग का नाम						कुल
	राज्य उत्पाद	ऊर्जा	पंजीयन	परिवहन	वाणिज्यिक कर	भौमिकी एवं खनिकर्म	
1998-99	-	-	-	-	-	1	1
1999-00	1	1	-	-	-	-	2
2000-01	-	-	1	1	-	-	2
2001-02	1	-	-	-	-	-	1
2002-03	-	-	-	-	3	-	3
2003-04	-	-	-	1	-	1	2
2004-05	-	-	-	1	-	2	3
2005-06	-	-	-	-	-	1	1
2007-08	-	1	-	-	-	-	1
कुल	**2**	**2**	**1**	**3**	**3**	**5**	**16**

1.11 लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए विषयो पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण

क्रमवार अनुच्छेद 1.11.1 और 1.11.12 में परिवहन विभाग की प्रगति के बारे में चर्चा की जा रही है जिसमे वर्ष 2003-04 से 2012-13 में ऐसे प्रकरण जो स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान पाये गये। साथ ही साथ ऐसे प्रकरण भी है, जो वर्ष 2002-03 से 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लिए गए है।

1.11.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले 10 वर्षो के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांश स्थिति इन प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाएँ और 31 मार्च 2013 के अनुसार उनकी स्थिति तालिका में नीचे दी गई है:

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरण			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹ करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹ करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹ करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹ करोड़ में)
2003-04	63	547	143.87	6	35	2.60	4	75	103.59	65	507	42.88
2004-05	65	507	42.88	1	6	1.03	0	0	0.00	66	513	43.91
2005-06	66	513	43.91	8	64	6.73	0	0	0.00	74	577	50.64
2006-07	74	577	50.64	3	25	3.68	0	2	1.97	77	600	52.34
2007-08	77	600	52.34	9	49	14.18	0	7	0.31	86	642	66.21
2008-09	86	642	66.21	13	70	11.11	0	3	0.17	99	709	77.15
2009-10	99	709	77.15	5	26	5.58	2	11	1.80	102	724	80.93
2010-11	102	724	80.93	14	104	14.98	1	58	2.15	115	770	93.76
2011-12	115	770	93.76	8	97	21.73	0	1	0.32	123	866	115.17
2012-13	123	866	115.17	7	87	9.55	0	1	0.10	130	952	124.62

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग/शासन राजस्व हित में लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु उचित एवं सामयिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1.11.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाए गए विषयों पर शासन/विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन

1.11.2.1 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई कंडिकाएँ जो परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा जिनसे राशि वसूल की गई है, विवरण नीचे तालिका में वर्णित हैः

(₹ लाख में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	शामिल की गई कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की कुल राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की राशि	स्वीकृत प्रकरणों में वसूली की संची स्थिति
2002-03	2	84.14	7.02	7.02
2003-04	1	101.00	12.43	12.43
2004-05	2	349.68	39.39	39.39
2005-06	1	211.00	211.00	निरंक
2006-07	1	127.00	127.00	30.53
2007-08	2	669.00	358.00	104.97
2008-09	2	335.92	37.44	37.44
2009-10	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2010-11	2	20.23	7.73	7.73
2011-12	5	1,789.27	869.81	49.22
योग	**18**	**3,687.24**	**1,669.82**	**288.73**

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2002-03 से 2011-12 तक की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹16.70 करोड़ विभाग द्वारा स्वीकृत की गई, जिसके विरूद्ध मात्र ₹ 2.89 करोड़ (17.29 प्रतिशत) ही वसूल की गई।

स्वीकृत प्रकरणों की वसूली हेतु विभाग में मौजूदा यान्त्रिकी प्रणाली के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने सूचित किया कि सभी स्वीकृत मामलों में व्यापारियों को वसूली हेतु मांग पत्र जारी कर दिया गया है। यदि राशि 30 दिनों की अनुमत्य समय के भीतर जमा नहीं किए तो आर.आर.सी जारी कर वसूली की जाती है। तथापि वास्तविकता यह है कि स्वीकृत प्रकरणों में विभाग द्वारा पिछले 10 वर्षो के दौरान मात्र 17.29 प्रतिशत राशि वसूल की गई।

चूँकि स्वीकृत मामलों में विभाग द्वारा की गई प्रगति बहुत कम है, हम अनुशंसा करते है कि विभाग शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

1.11.2.2 विभाग/शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा किए गए प्रारूप समीक्षा को संबंधित विभाग/शासन को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षा पर बर्हिगमन सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया जाता है एवं विभागो/शासन के मंतव्यों को प्रतिवेदनों में समाहित किया जाता है।

नीचे दिये गए कंडिकाओं में **परिवहन विभाग** की समीक्षा में उठाए गए विषय जो पिछले दस लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए, साथ ही विभाग द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही जो उसके और शासन द्वारा स्वीकृत की गई थी वर्णित है :

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	स्वीकृत अनुशसाओं का विवरण	अद्यतन स्थिति
2009-10	मोटर वाहनों पर करो का आरोपण एवं संग्रहण	8	1) बकाया राजस्व को समय बद्ध रूप से वसूल करने हेतु निर्देश जारी करे।	बकाया राजस्व की समयबद्ध तरीके से वसूली हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए गये है।
			2) नमूना जांच में लेखा परीक्षा द्वारा पाये गये गबन, दुर्विनियोजन, हेरा फेरी आदि प्रकरणों को दृष्टिगन रखकर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, रोकड़ बही का संधारण करने ओर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, रोकड़ बही का संधारण करने और आंतरिक लेखा परीक्षा को सुदृढ़ करने हेतु तुरंत प्रभावी कार्यवाही करें।	लेखापरीक्षा की अनुशंसानुसार सभी कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की जावेगी। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त द्वारा कोषालय/बैंक से प्राप्त चालान की दूसरी प्रति से वैधता जाँचने हेतु सभी क्षे.प.अ, अ.क्षे.प.अ एवं जिला प.अ. को निर्देश जारी किए गये है।
			3) स्लीपर कोच बसों के दर निर्धारित कर भविष्य की राजस्व हानि से बचने हेतु उन्हे अधिसूचित करें।	प्रधान सचिव, परिवहन द्वारा लोक लेखा समिति में कहा गया कि स्लीपर बसों की कर की दरों संबंध में विधान सभा के अगले सत्र में बिल प्रस्तुत

				किया जावेगा।
			4) राजस्व की हानि रोकने हेतु व्यापारियों से फार्म-19 प्राप्त करना सुनिश्चित करें।	फरवरी 2011 से ट्रेड टैक्स स्मार्ट कार्ड के अनुसार भुगातान करना आवश्यक कर दिया गया है, जैसा की फार्म-19 में आवश्यकता है।
			5) लोक सुरक्षा हेतु देय वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने बाबत शासन आवश्यक कार्यवाही करें।	विभाग के निर्देशानुसार फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय सक्ति बरती जा रही है। कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। लोक लेखा समिति की बैठक में प्रधान सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया कि कोई भी वाहन बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़क पर नहीं चलेगी।
			6) राजस्व के मद्देनजर यान अधिक समय तक निष्प्रयोग मे न रहे इस हेतु अधिनियम के प्रावधानों का कडाई से पालन करें।	संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गये है।
			7) वर्तमान में जुड रहे विभिन्न व्हील बेस को ध्यान में रखकर यात्री वाहनों की बैठक क्षमता पुनरीक्षीत करने हेतु शासन विचार करें।	अधि. क्र. 3651/टेक/परि/2012 दिनांक 6 जुलाई, 2012 द्वारा व्हील बेंस की श्रेणियाँ तीन से बढ़ाकर नौ कर दिये गये ताकि पंजीयन अधिकारी द्वारा सही बैठक क्षमता करारोपण के लिए निर्धारित की जा सके।
			8) दोषी वाहन मालिको से बकाया कर की वसूली हेतु मांग पत्र प्रणाली में सुधार किया जावें।	वाहन मालिकों से ₹ 39.79 लाख की वसूली की जा चुकी है।
2010-11	परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण	6	1) व्यापार निरतरन्ता योजना को परिभाषित करने के लिए सुरक्षा एवं बैक अप योजना को गठित करना।	विभाग ने कहा कि आवश्यकता को देखते हुए स्मार्ट कार्ड योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के अनुसार एन.आई.सी. द्वारा आपदा सुधार योजना बनाई गई है। वाहन एवं सारथी साफ्टवेयर को राज्य की पंजी में दर्ज कर एन.आई.सी. द्वारा डाटा को सुधार कर लिया जाता है।
			2) योजना में कमियों को विहित करना एवं उन्हे प्रोग्राम में शामिल करना।	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके है कि अभिलेखों के अनुसार सुधार कर लिया जावे।
			3) इनपुट और वैध नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाया जाय	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके है

			जिससे गलत और अपूर्ण डाटा सिस्टम में दर्ज नहीं किया जा सके।	कि अभिलेखों के अनुसार सुधार कर लिया जावे।
			4) पर्याप्त भौतिक एवं तार्किक अभिगम नियंत्रण को सुनिश्चित करना ताकि डाटा की सुरक्षा एवं संरक्षा से समझौता न हो सकें।	28.05.2012 को स्मार्ट कार्ड योजना लागू किया गया। स्मार्ट कार्ड बनाने हेतु मुख्य प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है जो भारत सरकार से एन.आई.सी. प्रमाणित है। यह प्रणालि अनाधिकृत उपयोग को रोकता है।
			5) प्रणाली के प्रभावी पर्यवेक्षण और नियंत्रण सुनिश्चित करें।	प्रणाली की निगरानी हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए गये है।
			6) विभागीय कर्मचारियों को सिस्टम प्रबंधन और डाटा के संचालन हेतु प्रशिक्षित करना।	नियमित डाटा एन्ट्री ऑप्रेटरों को सभी कार्यालयों में पदस्थ कर उन्हे प्रशिक्षण दिया गया ताकि साफ्टवेयर में सुचारू रूप से कार्य कर सकें।

1.12 लेखापरीक्षा का प्रभाव

1.12.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12):

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अवनिर्धारण, करो का अनारोपण/कम आरोपण, राजस्व की हानि, माँग सृजित करने में विफलता इत्यादि के ₹ 2,591.57 करोड़ के प्रकरण इंगित किए गए। विभागों द्वारा ₹ 2,048.57 करोड़ (वाणिज्यिक करः ₹ 60.96 करोड़, मुद्रांक शुल्कः ₹ 1.87 करोड़, राज्य उत्पादः ₹ 11.63 करोड़, परिवहनः ₹ 18.99 करोड़, भू-राजस्वः ₹ 2.78 करोड़, उत्खननः ₹ 124.68 करोड़, वन (राजस्व): ₹ 10.73 करोड़, वन (व्यय): ₹ 36 लाख, विद्युतः ₹ 1,216.06 करोड़ एवं अन्य ₹ 600.51करोड़) की लेखा परीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की, जिसमें मार्च 2013 तक मात्र ₹300.20 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकृत राशि	मार्च 2013 तक वसूल की गई राशि
1.	2007-08	92.87	52.88	6.66
2.	2008-09	486.08	446.33	127.35
3.	2009-10	99.21	20.84	12.59
4.	2010-11[4]	344.50	129.39	76.98
5.	2011-12	1,568.91	1,399.13	76.62
योग		**2,591.57**	**2,048.57**	**300.20**

[4] वर्ष 2010-11 के दौरान दो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदन क्र. 1 एवं 4) राजस्व क्षेत्र से प्रकाशित किए गए।

ऊपर वर्णित तालिका से यह देखा जा सकता है कि स्वीकृत राशि में से पिछले पाँच वर्षो मे विभागों द्वारा केवल 14.65 प्रतिशत की वसूली की गई।

यह सिफारिश की जाती है कि कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में राजस्व की त्वरित वसूली के लिए शासन द्वारा उचित कदम उठाए जाए।

1.12.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12):

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान हमारे द्वारा वाणिज्यिक कर, पंजीयन, भू-राजस्व, परिवहन, राज्य उत्पाद, खनिज एवं वन विभागों के 505 इकाईयों का लेखा परिक्षण किया गय। हमारे निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा हमने 47,620 प्रकरण जिनमें ₹ 1,140.79 करोड़ सन्हित है इंगित किए। विभागों द्वारा ₹ 362.55 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की गई, जिसमें मार्च 2013 तक 735 प्रकरणों में ₹ 41.49 करोड़ वसूल किए गये जो नीचे तालिका में वर्णित है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकृत राशि		वसूल की गई राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2007-08	91	6,747	132.91	5,665	96.15	67	0.54
2008-09	105	7,466	136.85	4,120	60.32	19	1.01
2009-10	108	7,437	188.79	5,421	56.54	538	14.06
2010-11	105	7,289	185.88	4,335	43.30	83	3.55
2011-12	96	18,681	496.36	5,701	106.24	28	22.33
योग	**505**	**47,620**	**1,140.79**	**25,242**	**362.55**	**735**	**41.49**

1.12.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालन की स्थिति(2012-13):

वर्ष 2011-12 के दौरान वाणिज्यिक कर, मुद्रांक एवं पजीयन शुल्क, भू-राजस्व, वाहनों पर कर, राज्य उत्पादन, विद्युत पर कर एवं शुल्क एवं अन्य कर प्राप्तियों/व्यय के 115 ईकाइयों[5] के अभिलेखों की नमूना जाँच किया गया और 6,407 मामलों में सम्मिलित ₹ 1,334.05 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का अवलोकन किया। वर्ष

5

स. क्र.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत राशि	प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई राशि
1.	वाणिज्यिक कर	15		210	14.27	14	1.00	4	0.16
2.	पंजीयन	38		193	81.13	73	0.53	निरंक	निरंक
3.	भू - राजस्व	20		3,475	15.01	3,216	6.83	निरंक	निरंक
4.	परिवहन	6		1,255	9.14	861	4.93	निरंक	निरंक
5.	उत्पाद	9		700	20.02	364	4.55	निरंक	निरंक
6.	विद्युत	4		63	949.56	41	72.07	2	72.07
7.	खनन एवं उत्खनन	4		204	8.39	133	6.75	2	0.07
8.	वानिकी एवं वन्य जीवन	18	प्राप्तियाँ	142	16.48	4	0.50	निरंक	निरंक
			व्यय	155	219.92	1	84.38	1	23.23
9.	अन्य	1		10	0.13	6	0.01	निरंक	निरंक
योग		**115**		**6,407**	**1334.05**	**4,713**	**181.55**	**9**	**95.53**

के दौरान संबंधित विभागों ने 4,713 मामलों में सम्मिलित राशि ₹ 181.55 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया। इनमें से विभागों ने ₹ 95.53 करोड़ की वसूली की।

1.12.4 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में एक समीक्षा **(मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण एवं संग्रहण)** सहित 20 कंडिकायें जिसमें अवनिर्धारण, कर के कम आरोपण/अनारोपण इत्यादि जिसमें राशि ₹ 92.81 करोड़ सन्निहित है जो '**भाग–क**' में उल्लेखित है एवं एक समीक्षा **(छत्तीसगढ़ राज्य क्षतिपूर्ति वर्गीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण)** सहित पाँच कंडिकायें जिसमें वन विभाग में गलत दर लगाना, योग नहीं करना, अनियमित/टालने योग्य व्यय इत्यादि जिसमें राशि ₹ 149.22 करोड़ सन्निहित है जो '**भाग–ख**' में उल्लेखित है। कुछ प्रमुख प्रेक्षण नीचे वर्णित है। शासन ने ₹ 158.94 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 19.64 करोड़ की वसूली की गई। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय दो से आठ में की गई है।

1.13 लेखापरीक्षा से प्रेरित होकर किए गये संशोधन

लेखापरीक्षा से प्रेरित होकर विभाग/शासन द्वारा नियमों में किए गये संशोधन जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित है नीचे वर्णित है :

स. क्र.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए प्रेक्षण	अधिसूचना/परिपत्र क्र.	किया गया बदलाव	कंडिका क्र.
1.	भौमिकी एवं खनिज	छ.ग. गौण खनिज नियमावली, 1996 में खनन योजना में संशोधन होने पर मुद्रांक एवं पंजीयन फीस के आरोपण हेतु कोई प्रावधान नहीं।	एफ-7-1/2004/12, दिनांक 24 नवम्बर 2011	अधिसूचना के अनुसार खनन योजना में उत्पादन की अनुमानित मात्रा में परिवर्तन/संशोधन होने पर, मुद्रांक शुल्क के अंतर की राशि के भुगतान हेतु पट्टेदार से एक शपथ पत्र लिया जाएगा।	3.3.2 वर्ष 2010-11 का प्रतिवेदन (वर्ष 2012 का प्रतिवेदन क्र 4)